For Students

अनुशासन समिति निर्देश

1) विद्यालय शिक्षा का मंदिर है। यहां शांति एवं स्वच्छता बनाए रखना हर शिक्षार्थी का कर्तव्य है।

2) प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय, स्कूल ड्रेस में आए। बिना स्कूल ड्रेस के विद्यार्थी को विद्यालय परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3)विद्यालय परिसर में विद्यार्थी के मध्य किसी भी प्रकार का अभद्र आचरण पूर्णतः वर्जित एवं दंडनीय अपराध है।

4)विद्यार्थियों के द्वारा कोई भी ऐसा आचरण ना किया जाए जो विद्यालय की गरिमा एवं संस्कृति के प्रतिकूल हो।

5)विद्यार्थी स्कूल परिसर में अशांति और अनुशासनहीनता ना फैलाएं।

6)विद्यालय परिसर में पान - गुटका - सिगरेट का सेवन वर्जित एवं दंडनीय है।

7) विद्यालय परिसर एवं कमरों में (सी.सी.टी.वी) कैमरे लगे हुए हैं इसलिए कोई भी प्राचार्य एवं अनुशासन समिति के सदस्यों के निगरानी से अछूता नहीं है।

8)अध्ययन अध्यापन के समय कमरों एवं बरामदों के सामने घूमना बातें करना ,व्यवधान उत्पन्न करता है अतः कोई भी विद्यार्थी इस समय अनावश्यक ना घूमे।

9) सूचना पट पर हर कक्षा एवं विषय के लिए समय- सारणी बनाकर लगा दी गई है और साथ ही साथ समय - सारणी को हर कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया गया है। अतः सभी विद्यार्थी समय सारणी के अनुसार अपना पठन-पाठन कार्य करें।

10) अनुशासनहीनता की परिधि में आने पर किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय से स्थाई रूप से निष्कासित किया जा सकता है।

Disciplinary committee instructions

1) School is the temple of education. It is the duty of every learner to maintain peace and cleanliness here.

2) Every student should come to school in school uniform. Students without school dress will not be allowed to enter the school premises.

3) Any kind of indecent conduct among the students in the school premises is a completely prohibited and punishable offense.

4) No such conduct should be done by the students which is against the dignity and culture of the school.

5) Students should not spread unrest and indiscipline in the school premises.

6) Consumption of paan-gutka-cigarette in the school premises is prohibited and punishable.

7) There are CCTV cameras installed in the school premises and classrooms, so no one is left untouched by the supervision of the Principal and the members of the Disciplinary Committee.

8) While teaching, walking in front of rooms and verandahs, talking creates disturbance, so no student should move around unnecessarily at this time.

9) Time table has been prepared for every class and subject on the notice board and at the same time the time table has also been sent to the WhatsApp group of every class, so all the students should do their studies according to the time table.

10) Any student who comes under the purview of indiscipline can be permanently expelled from the school.

For Teachers and Staff

अनुशासन समिति निर्देश

1)विद्यालय शिक्षा का मंदिर है और इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी विद्यालय के दो प्रमुख स्तंभ होते हैं। अतः विद्यालय को शिक्षा का मंदिर बनाए रखने के लिए शिक्षकों का प्रमुख कर्तव्य बनता है।

2) विद्यालय के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। जिसमें पुरुष शिक्षकों के लिए फॉर्मल ब्लैक शूज ,ब्लैक ट्राउजर ,और सफेद शर्ट/आसमानी नीला शर्ट निर्धारित किया गया है और महिला शिक्षकों को विद्यालय द्वारा पहले से ही निर्धारित ड्रेस कोड में आना है।

3)विद्यालय द्वारा सभी शिक्षकों के लिए विद्यालय में आने और जाने का समय निर्धारित कर दिया गया है इसलिए आप सभी लोग विद्यालय समय से आए और समय से जाएं।

4)विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य होता है अतः प्रत्येक शिक्षक अपने कर्तव्य को समझते हुए विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखें और विद्यालय में अशांति और अनुशासनहीनता ना होने दें।

5) जिन शिक्षकों को प्रार्थना कराने की जिम्मेदारी दी गई है वे सभी शिक्षक प्रार्थना को सुचारू रूप से कराएं जिससे विद्यालय में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।

6) विद्यालय में अंतिम घंटी लगने के बाद प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा से विद्यार्थियों को पंक्ति वार करके छोड़ें जिससे विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा शोरगुल ना हो।

7) प्रत्येक शिक्षक विद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में ही आएं। जींस ,टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज विद्यालय के ड्रेस कोड में लागू नहीं होता है (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर/विद्यालय प्रशासन के विवेकानुसार)।

8)कक्षा में किसी भी शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के साथ फूहड़ भाषा का उपयोग ना किया जाए क्योंकि इससे विद्यार्थियों में उस शिक्षक तथा विद्यालय के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है।

9)विद्यालय परिसर में पान गुटखा का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है इसलिए इसका सेवन विद्यालय परिसर में ना करें।यदि किसी भी शिक्षक द्वारा इस तरह के पदार्थ का सेवन करते हैं पाया गया तो विद्यालय द्वारा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

10)आशा करते हैं हम सभी शिक्षक विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखेंगे और विद्यालय को प्रगति की ओर निरंतर ले जाने का प्रयास करेंगे।

Disciplinary committee instructions

1)The school is the temple of education and the teachers and the students are the two main pillars of the school. Therefore, it becomes the primary duty of the teachers to maintain the school as a temple of education.

2) A dress code has been set by the school for the teachers.

In which formal black shoes , black trouser and white shirt/sky blue shirt have been prescribed for male teachers.

And women teachers have to come in the dress code already prescribed by the school.

3) The school has fixed the time for all the teachers to come and leave the school, so all of you come and go to school on time.

4) It is the duty of every teacher to maintain discipline in the school, so every teacher, understanding his duty, should maintain discipline among the students and do not allow unrest and indiscipline in the school.

5) All the teachers who have been given the responsibility of getting the prayer done, all the teachers should get the prayer done smoothly so that a positive energy remains in the school.

6)After the ringing of the last bell in the school, every teacher should drop the students from their class row wise so that there is no noise by the students in the school.

7) Every teacher should come in the dress code prescribed by the school. Jeans, T-shirt and sports shoes are not applicable in the school dress code (Except in special circumstances/at the discretion of the school administration).

8) Slack language should not be used by any teacher in the class with students because it creates negative thinking in the students towards that teacher and school.

9) Consumption of PAAN- GUTKHA is strictly prohibited in the school premises, so do not consume it in the school premises. If any teacher is found to be consuming such substance, then necessary action will be taken against him by the school.

10) We hope that all the teachers will maintain discipline among the students and try to take the school towards progress continuously.